न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिंह हाडा

संख्या 20/12

तारीख रजू– 01/06/2012

क्फ कमेटी मलारनाडूँगर जरिये सेकेट्री अब्दुल करीम पुत्र श्री अब्दुल शकूर जाति मुसलमान
लारनाडूँगर।

------प्रार्थी

बनाम

हारी पुत्र मूलचंद जाति महाजन निवासी मलारनाडूँगर।
यत मलारनाडूँगर जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मलारनाडूँगर।

---अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक–11/02/2016

गुजार ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 97 के चायत मलारनाडूँगर की पत्रावली संख्या 557 निर्णय दिनांक 20/08/2004 के विरूद्व जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 को 36X24 फुट कुल 864 वर्गफुट कब्जेशुदा भूमि को 25/–रू0 नजराना कुल 22204/–रू0 लेकर निर्माण स्वीकृति प्रदान की है का तथाकथित निर्णय व जारी किया गया बिला नम्बरी पटटा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।
तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अप्रार्थी सूचना उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा अदालत प्राप्त होने पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
प्रार्थी ने निगरानी मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे बताया कि अप्रार्थी ने को ग्राम पंचायत मे भूमि आवंटन का प्रार्थनापत्र पेश किया। पंचायत ने दिनांक वर्गफुट भूमि अप्रार्थी को देने का निर्णय पारित किया इसकी कोई पत्रावली संधारित ने गैर कानूनी तौर से पटटा जारी कर दिया। कोई उज्रदारी के लिए नोटिस नही पंचायत मे पटटे का कोई रिकार्ड नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ने तत्कालीन सरपंच से जाली पटटा अपने हक मे बनवा लिया। उक्त पटटे का पंचायत के प्रस्ताव नही है। पटटे पर सचिव के कोई हस्ताक्षर नही है। पटटे का क्रमांक दर्ज नही है कोई उल्लेख नही है। समस्त प्रक्रिया फर्जी एवं जाली है। ग्राम पंचायत को कानूनी पटटा जारी करने का कोई अधिकार नही है। पंचायत नीलामी प्रक्रिया के बिना भूमि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने के लिए पटटा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने को अप्रार्थी संख्या 1 को 12 X08 वर्गगज एवं दिनांक 16/11/69 को 05 X12 पारित किया था जिसके विरूद्व अदालत हाजा के न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत निर्णय खारिज कर दिये गये। ग्राम पंचायत ने अदालत हाजा का निर्णय होने पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे यह ने निर्णय देने से पूर्व इस तथ्य पर गोर नही किया कि खसरा नम्बर 961 कब्रिस्तान की भूमि है उक्त भूमि वक्फ के गजट मे क्रमांक 146 पर दर्ज है। करके 20/08/04 को पटटा रजिस्टर्ड कराया है। अप्रार्थी संख्या 1 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय फास्ट ट्रेक मे दावा पेश किया था जो के बारे मे जॉच किये बिना डिग्री कर दिया उसके विरूद्व माननीय उच्च पत्रावली पूर्व सरपंच द्वारा प्रेषित की है इससे प्रतीत होता है कि तत्कालीन सचिव के कही हस्ताक्षर नही है। नक्शे पर गिर्राज के

अर है जो पंचायत का सचिव नही था। पूरी कार्यवाही पत्रावली मे फर्जी तौर से तैयार की है। प्रार्थी ने पंचायत के निर्णय दिनांक 20/08/04 की नकल हेतु ग्राम पंचायत मे कईबार प्रयास किये लेकिन त मे कोई पत्रावली नही होने से नकल नही मिल सकी। पंचायत द्वारा 02/12/11 को प्रार्थी को किया कि मिसल संख्या 557 दायर दिनांक 22/06/04 की फैसल पत्रावली उपलब्ध नही है इस तथाकथित पत्रावली के आधार पर जारी किया पटटा फर्जी होने से निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। र्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय व निर्णय की पालना मे जारी पटटा फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस मे बताया कि अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 29/02/92 मे पृष्ठ 3 3 मे यह निष्कर्ष दिया है कि भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि कब्रिस्तान है तथा प्रार्थी यह तथ्य न्यायालय के समक्ष साबित नही कर सके कि भूमि कब्रिस्तान की है। हाजा ने निगरानी भूमि नीलामी नही किये जाने से स्वीकार की है। अतः प्रस्तुत निगरानी मे यह के विवादित भूमि कब्रिस्तान की हो बिलकुल गलत है। पंचायत की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। अतः मे जो आरोप लगाया है कि पत्रावली नही है तथा फर्जी पटटा जारी किया है वह गलत है। मे आपत्ति नोटिस जारी किये है। दिनांक 22/06/04 को 22204/–रू0 जमा हुए है, पटटा ा उसकी रजिस्ट्री 20/09/2004 को करायी है। नक्शे पर सचिव के हस्ताक्षर है। अतः विधिवत पटटा जारी हुआ है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश(फास्ट ट्रेक) सवाईमाधोपुर ने दावा सख्या 4 निर्णय दिनांक 23/11/2011 मे विवादित भूमि का दावा अप्रार्थी कुंजबिहारी के पक्ष मे डिक्री दावा मे तनकी संख्या 6 कब्रिस्तान के बारे मे थी जो अप्रार्थी के पक्ष मे निर्णीत हुई है। इसी नकी संख्या 8 भी अप्रार्थी के पक्ष मे हुई है जिसमे 20/08/04 को जारी पटटे के बारे मे की गई खारिज की गई है। निगरानीकार अब्दुल करीम उस दावे मे प्रतिवादी संख्या 2 था। पटटा क्योकि मे जारी हुआ था उस पटटे के लिए निगरानी जो पेश की है वह देरी से पेश की है। जिन कोई अपील/निगरानी का समय तत्संबंधित कानून मे नियत नही है उन मामलो मे मियाद प्रावधान लागू होते है क्योकि प्रार्थी को निर्णय की जानकारी शुरू से रही है। अतः आर्टिकल 137 तीन वर्ष मे निगरानी दायर करनी चाहिये थी। उन्होने एआईआर 1999–पेज 309 की नजीर पेश बताया कि सिविल कोर्ट के वाद मे 28/02/05 को संशोधित वादपत्र स्वीकार किया है। र ने जवाब दावा दिया है उसी समय से उसे पंचायत के पटटे की जानकारी है क्योकि दावे मे त हाजा के निर्णय मे कब्रिस्तान होना नही माना है। अतः प्रार्थी जो दावे मे पहले इसी आपत्ति का है उसे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि बताते हुए यही आपत्ति उठाने का अधिकार नही है। पार्टी भी नही है। दावे मे जिला कलेक्टर एवं ग्राम पंचायत पक्षकार थे जिनकी मोजूदगी मे हुआ है। सिविल न्यायालय के निर्णय की अपील माननीय उच्च न्यायालय मे की है जो उसका नही है। अतः निगरानी मियाद बाहर पेश की है तथा दावे मे प्रार्थी की आपत्तिया खारिज हो तः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे। उन्होने 2015(3)डीएनजे राज.पेज 114 की नजीर पेश

के अधिवक्ता ने बहस के जवाब मे बताया कि पटटे पर सरपंच व सचिव दोनो के हस्ताक्षर थे। अप्रार्थी ने गिर्राज सहायक सचिव के नक्शे पर हस्ताक्षर होना बताया है। सहायक सचिव नूनी अधिकार नही है। अप्रार्थी व्यापारी वर्ग से है। बीपीएल परिवार का नही है। बिना नीलामी री करने का अधिकार पंचायत को नही है। जो नजीरे पेश की है वे नगरपालिका कानून की है नियम की नही है अतः प्रकरण पर लागू नही होती है।

विद्वान अधिवक्ताओ की बहस को गोर किया। प्रार्थी द्वारा पटटा फर्जी तोर से बाद की तारीखो द्वारा जारी करने का आरोप लगाया है तथा कोई पत्रावली संधारित नही करने का आरोप र्व सरपंच द्वारा पत्र से दिनांक 08/11/12 को पत्रावली सचिव ग्राम पंचायत के पास प्रेषित चिव ने इस न्यायालय को पत्रावली दिनांक 10/11/12 को प्रेषित की है इससे पत्रावली का त होता है। निर्णय पर वार्ड पंचो के हस्ताक्षर है, पटटे पर पत्रावली संख्या तथा

ला कलेक्टर
योपुर

निगरानी संख्या 20/12 मुस्लिम वक्फ कमेटी/कुंजबिहारी वगै0

204/–रू0 जमा होने का विवरण है। अप्रार्थी ने केसबुक की फोटो प्रति पेश की है जिससे राशि जमा
ना साबित है। अतः पत्रावली फर्जी होना या पटटा पिछली तारीखो मे बनाना साबित नही है। न्यायालय
र जिला न्यायाधीश(फास्ट ट्रैक) सवाईमाधोपुर के दावा संख्या 68/2004(36/2001) मे प्रार्थी प्रतिवादी
या 2 रहा है जिससे भी उक्त पटटे का प्रकरण विचारणीय रहा है। कब्रिस्तान के बारे मे दावे मे तनकी
या 6 मे कब्रिस्तान होना नही माना है। इसी तरह अदालत हाजा की निगरानी संख्या 153/90 निर्णय
क 29/02/92 मे भी पृष्ठ संख्या 3 पर किये विवेचन मे भूमि कब्रिस्तान की नही होना माना है।
नी वाद के चलते उक्त निगरानी दायर की है। अप्रार्थी ने मियाद कानून के आर्टिकल 137 की ओर
आकृष्ठ किया है। ए.आई.आर.1999 राज.पेज–309 के अनुसार ऐसे प्रकरणो मे मियाद 3 वर्ष है क्योकि
को दावे के समय से उक्त पटटे की जानकारी रही है। अतः निगरानी मियाद बाहर विलम्ब से पेश
है जिसमे उनके द्वारा फर्जी पटटा पूर्व सरपंच द्वारा बिना पत्रावली के जारी करने का कथन किया है
त्थ्य प्रमाणित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर